

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 20.11.2023

शांतिभंग की आशंका के मददेनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मददेनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-13 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. विष्णु उर्फ अतुल सिंह पुत्र रंगीलाल नि० ग्राम दुर्गागंज थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-502/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

02. थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामफेर पुत्र राममिलन निषाद नि० ग्राम चकिया मौजा एकडंगा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, 450 यूरिया व 450 नौसादर बरामद कर मु०अ०सं०-523/23, धारा 272 भादवि व 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 20.11.2023

अवैध तमंचे के साथ 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर प्राथमिक विद्यालय दरियापुर हरदोपट्टी के पास से अभियुक्त लाल नायक शुक्ला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा मय 02 अदद मिस कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक में आर्म्स ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. लाल नायक शुक्ला पुत्र स्व० दीनानाथ शुक्ला नि० शुक्लनपुरवा सरैया थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—535/23 धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद मिस कारतूस 12 बोर।

गिरफ्तार कर्ता—

उ०नि० सौरभ वर्मा मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 20.11.2023

पशु क्रूरता अधि० के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, 01 अदद नाजायज चाकू व 80 किलो मांस व परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद स्कार्पियों कार बरामद—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पशु क्रूरता अधिनियम में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्षों को दिए थे

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर बग्गी रोड नहर पुलिया से 02 अभियुक्तों—01. फैज अहमद, 02. आसिफ को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 80 किलो मांस व 01 अदद नाजायज चाकू व परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद स्कार्पियों कार बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. फैज अहमद पुत्र हसन नि० ग्राम मेवातियान थाना को० नगर जनपद गोण्डा।
02. आसिफ पुत्र चुन्ना उर्फ मोहम्मद अहमद फैजाबाद रोड थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—359/23, धारा 11 पशु क्रूरता अधि 1960 व 4/25 आर्म्स ऐक्ट व 207 एम०वी० ऐक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 80 किलो मांस (पाडा)
02. 01 अदद नाजायज चाकू।
03. 01 अदद स्कार्पियों कार

गिरफ्तार कर्ता टीम—

थानाध्यक्ष धानेपुर अंकुर वर्मा मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 20.11.2023

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, 20 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, नौसादर, यूरिया व शराब बनाने के उपकरण बरामद—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नवाबगंज पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अपने थाना क्षेत्र के ग्राम चकिया मौजा एकडंगा में दबिश देकर अभियुक्त रामफेर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, यूरिया व नौसादर बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना नवाबगंज में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. रामफेर पुत्र राममिलन निषाद नि० ग्राम चकिया मौजा एकडंगा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—523/23, धारा 272 भादवि व 60 आबकारी अधि० थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 10 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब।

02. 450 ग्राम यूरिया व 450 ग्राम नौसादर।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

व०उ०नि० त्रियुगी प्रसाद शर्मा मय टीम।